उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे०मि० (पी०ए०) वाद सं० 24/2021–22

सुतीलाल मुर्मू...अपीलकर्त्ता।

बनाम

नागेश्वर मुर्मू...उत्तरकारी।

आदेश

11.01.2022 यह रे०मि० (पी०ए०) वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी०ए० वाद सं०–98/2010–11 में पारित आदेश दिनांक–07.08.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसमें अपीलकर्त्ता के दावों को अस्वीकृत करते हुए उत्तरकारी को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

(1) मौजा गिधनीपहाड़ी नं०–13 अंचल दुमका एक प्रधानी मौजा है एवं निविदान मुर्मू मौजा के अंतिम प्रधान थे जिनकी मृत्यु दिनांक–17.10.2010 को हो चुकी है।

(2) अपीलकर्त्ता अंतिम प्रधान के चेचरा भाई है तथा उत्तराधिकारी है। वह प्रधानी कार्यो के सम्पादन में उन्हें सहयोग करते थे एवं प्रधानी जोत का खेती करते थे।

(3) मौजा के रैयत अपीलकर्त्ता को प्रधान पद पर चाहते है।

(4) अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा अपीलकर्त्ता को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया है।

(5) उत्तरकारी नाबालिग (Minor) है तथा अंतिम प्रधान के द्वितीय पत्नी का पुत्र है। मौजा के 16 आना रैयत उन्हें मौजा के प्रधान पद पर नहीं चाहते है।

(6) अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में अपीलकर्त्ता को प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा के पश्चात् भी उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुए उत्तरकारी को मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है जो न्याय संगत नहीं है।

अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी के अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

(1) उत्तरकारी सं0–1 नागेश्वर मुर्मू पूर्व प्रधान के पुत्र है एवं उत्तरकारी सं0–2 मकलू हॉसदा पूर्व प्रधान के विधवा पत्नी है तथा दोनो पूर्व प्रधान के उत्तराधिकारी है।

(2) उत्तरकारी को मौजा के रैयतों का सहमति प्राप्त है।

(3) उत्तरकारी को मौजा संथाल परगना कास्तकारी (पूरक) रूल्स 1950 के शिउ्डल V के अनुसार सरवरकार के साथ प्रधान नियुक्त किया गया, है जो सही है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारीज किया जाय।

मौजा 16 आना रैयतों द्वारा लिखित बहस दाखिल कर कहा है कि

(1) अपीलकर्त्ता का दावा गलत एवं आधारहीन है।

(2) उत्तरकारी को प्रधान तथा उत्तरकारी सं0–02 मकलू हॉसदा को सरवरकार के रूप में 16 आना रैयतों का पूर्ण समर्थन है।

अतः अपीलकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाय।

अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

(1) अंचल अधिकारी, दुमका द्वारा पत्रांक–747/रा0 दिनांक–19.08.2004 एवं पत्रांक–1012/रा0 दिनांक–16.11.2016 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

पत्रांक–747/रा0 दिनांक–19.08.2004 में अंचल अधिकारी दुमका द्वारा अपीलकर्त्ता को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

पत्रांक–1012/रा0 दिनांक–16.11.2016 में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जाँच के समय पूर्व प्रधान की पत्नी के द्वारा प्रधान बनने की इच्छा जाहिर की है।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इन प्रतिवेदन के आधार पर उत्तरकारी को प्रधान पद पर एवं उनके माता को सरबरकार के पद पर नियुक्त किया गया है।

प्रावधान

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 में खास मौजा में 2/3 रैयतों के सहमति के आधार पर तथा धारा–6 के अन्तर्गत प्रधानी मौजा में उत्तराधिकारी के आधार पर प्रधान नियुक्ति का प्रावधान है। साथ ही संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) रूल्स 1950 के शिउ्डल V के Rules में प्रधान नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में दिशा–निर्देश दिया गया है।

सिउड्ल v के रूल–1 एवं 3 में निम्न प्रकार उदृत है :–

Rule-1- The appointments of headman shall be made in accordance with village customs. And before confirming any appointment, the Deputy Commissioner shall satisfy himself that the candidate is generally acceptable to the *raiyats,* and an opportunity shall also in every instance, be afforded to the proprietor to object to any candidate.

Rule-3- The office of the headman bening hereditary, the next heir, who is fitted, should be headman, If the heir be a minor, he may be appointed headman with a sarbrakhar to manage for him until he attains his majority.

J.L.J.R 2003 (3) में प्रकाशित L.P.A 135/2003 श्रीमती स्वर्णलता देवी बनाम झारखण्ड सरकार में पारित आदेश :–

In the General rules, the Subdivisional officer may be competent to ascertain the views of the Jamabandi raiyats of the village.

निष्कर्ष

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा गिधनीपहाड़ी नं0–13 प्रधानी मौजा है एवं पूर्व प्रधान के पुत्र उत्तरकारी नाबालिग (Minor) होने के कारण उनके माता (पूर्व प्रधान की पत्नी) को सरबरकार नियुक्त करते हुए उन्हें प्रधान पद पद पर नियुक्त किया गया है। परन्तु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उत्तरकारी को प्रधान पद पर किया गया नियुक्ति की प्रक्रिया में पूर्णरूपेन नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है जो निम्न प्रकार है :–

(1) उत्तरकारी को प्रधान पद पर किया गया नियुक्ति के पूर्व 16 आना रैयतों से उत्तरकारी के योग्यता (Fitness) के संबंध में सहमति प्राप्त नहीं की गई है जो माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची के L.P.A 135/2003 श्रीमती स्वर्णलता देवी बनाम झारखण्ड सरकार में पारित आदेश जो J.L.J.R 2003 (3) में प्रकाशित के अनुकुल नहीं है।

(2) अंचल अधिकारी (Proprietor) से भी उत्तरकारी के योग्यता के संबंध में पूर्ण प्रतिवेदन एवं अनुशंसा प्राप्त नहीं किया गया है। जो शिड्यूल V के रूल–1 के अनुकुल नहीं है।

इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इन तथ्यों पर पूर्ण रूपेन विचार किये बिना ही आदेश पारित किया गया है जो पुनर्विचारणीय है।

आदेश

उल्लेखित तथ्य एवं कानूनी प्रावधान के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए वाद को इस निदेश के साथ पुर्नविचारार्थ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सिड्यूल–V के नियम एवं माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का पालन करते हुए अंचल अधिकारी से उम्मीदवार के योग्यता के संबंध में प्रतिवेदन तथा मौजा के रैयतों से आम सहमति प्राप्त कर प्रधान नियुक्त किया जाय।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.06 12:01:32 +05:30
Location: 169.254.227.244